न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–51/2018

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date
10.2.20	**आदेश** अंचल अधिकारी, चकाई– प्रथम पक्ष **बनाम** हजारवती देवी वो सुवास देवी, पति–गिरिश सिंह– विपक्षी प्रथम उमा देवी, पति–चक्रधर राय– विपक्षी द्वितीय देवयानी देवी पति–सदाशिव राय– विपक्षी तृतीय हजारवती देवी, पति–अविनाश राय– विपक्षी चतुर्थ सा0–शतशाला, पो0–कियाजोरी, अंचल–चकाई, जिला–जमुई। **अभिलेख उपस्थापित।** प्रश्नगत मामले में अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक–738/दिनांक–22.12.2017 द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–03/2017–18 का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जमाबंदी सं0–76, 77 एवं 78 का मौजा–शतशाला, खाता सं0–65 का कुल रकवा क्रमशः 10.68 $\frac{1}{2}$ एवं 8.64 $\frac{1}{2}$ को रद्द करने के अनुशंसा से सबंधित है, के आलोक में बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण वाद दायर कर विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई की गई। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता अनेको तारीखों में सुनवाई पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे तथा विपक्षी अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–07.08.2019 को अपना पक्ष रखते हुए लिखित बहस दाखिल किया गया। **अंचल अधिकारी, चकाई का पक्ष :–** बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 के नियम 3 के तहत दायर परिवाद पत्र में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई के पारित आदेश एवं सरकारी अधिवक्ता, जमुई से विधिक परामर्श प्राप्त कर मोजा–शतशाला के जमाबंदी सं0–76, 77 एवं 78 का सृजन तत्कालीन अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0– $\frac{15/e(2/74-75)}{10/73-74}$ में पारित आदेश के तहत कायम किया गया था तथा वर्ष 1979–80 में पहली लगान रसीद निर्गत हुआ था। बाद में फिर वर्ष 1984–85 में भी रसीद निर्गत हुआ था। पुनः परिवादी द्वारा वर्ष 2004–05 में भी रसीद निर्गत कराने की बात कही है। परिवादी जब वर्ष 2008–09 में रसीद निर्गत कराने कर्मचारी के पास गये तो मौजा–शतशाला का जमाबंदी सं0–76 एवं 77 में Cross(X) किया हुआ की बात बताया गया तथा रसीद काटने से इन्कार कर दिया गया तथा जमाबंदी सं0–78 से वर्ष 2014–15 तक रसीद निर्गत हुआ है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भी जमाबंदी संख्या–76, 77 में विपक्षी रसीद निर्गत कराने गए तो वर्त्तमान कर्मचारी रसीद काटने से इन्कार कर दिया। उक्त के आलोक में विपक्षी द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई के यहाँ परिवाद पत्र दायर किया, जिसका अनन्य संख्या–537110118091700910 दायर है। उक्त परिवाद के आलोक में अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा सरकारी अधिवक्ता, जमुई से विधिक परामर्श की मांग की गई,	

जिसमें सरकारी अधिवक्ता, जमुई के पत्रांक–21, दिनांक–21.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–शतशाला के जमाबंदी सं0–76, 77 एवं 78 में अंकित खाता संख्या–65 संदेहास्पद है। चूँकि मौजा–शतशाला के खाता सं0–65 की भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसका लगान निर्धारण नहीं होता है।

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई के निर्गत संख्या–53711–03498 निर्णय की तिथि दिनांक–07.12.2017 में प्राप्त निदेश एवं सरकारी अधिवक्ता के पत्रांक–21, दिनांक–21.12.2017 के तहत प्राप्त विविध परामर्श के आलोक में मौजा–शतशाला के जमाबंदी सं0–76 के जमाबंदी रैयत हजारवती देवी, सुवास देवी, पति–गिरिश राय एवं उमा देवी पति–चक्रधर राय, जमाबंदी सं0–77 के जमाबंदी रैयत देवयानी देवी, पति–सदाशिव राय एवं जमाबंदी सं0–78 के जमाबंदी रैयत हजारवती देवी, पति–अविनाश राय, खाता सं0–65 की कायम जमाबंदी को संदेहास्पद एवं अवैध मानते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विपक्षी का पक्ष :–

(1) विपक्षीगण का कथन है कि जमाबंदी सं0–76 के जमाबंदी रैयत हजारवती देवी एवं जमाबंदी सं0–77 के जमाबंदी रैयत देवयानी देवी की मृत्यु हो चुकी है इसलिए मृत जमाबंदी रैयतों के विरूद्ध इस वाद की कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

(2) विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा गलत परामर्श के तहत इस वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत जमाबंदियों में Cross(X) लगाये जाने के कारण राजस्व कर्मचारी द्वारा रसीद निर्गत नहीं किये जाने के आलोक में मामला अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई के यहाँ भेजा गया जहाँ विधिक परामर्श लेकर मामले को 25 दिनों के अन्दर मामले को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(3) उक्त निदेश के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–691, दिनांक–25.11.2017 से सरकारी अधिवक्ता को जमाबंदी सं0–76 एवं 77 में लगान निर्गत किये जाने के संबंध में विधिक परामर्श मांगा गया।

(4) सरकारी अधिवक्ता ने विधिवत् जाँच की कार्यवाही करने का निदेश देने के स्थान पर गलत धारणा के आधार पर अतिक्रमण वाद सं0–10/73–74 से उद्भूत लगान निर्धारण वाद सं0–15(2)/1974–75 को नजर अंदाज करते हुए जमाबंदी रद्दीकरण की कार्यवाही करने का परामर्श दिया गया।

(5) यह तथ्य दुखद है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी के लगान निर्धारण वाद सं0–15(2)/1974–75 एवं भूमि अतिक्रमण वाद सं0–10/73–74 मे कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पाये गये प्रतिवादी के दखल को नजर अंदाज कर दिया गया।

(6) सरकार की अधिसूचना सं0–E/Fb-751/59-470A/LR, दिनांक–06.06.1959 मे अंचल अधिकारी को लगान निर्धारण हेतु प्राधिकृत किया गया था।

(7) भूतपूर्व जमींदार द्वारा प्रश्नगत भूमि जमाबंदी रैयत को बंदोवस्त की गई थी, परन्तु रिटर्न समर्पित नहीं करने के कारण जमाबंदी रैयत के नाम से पंजी–2 में जमाबंदी नहीं खोली गई।

(8) वर्ष 1973–74 में अंचल स्तर पर भूमि अतिक्रमण वाद सं0–10/73–74 प्रारंभ की गई जिसमें कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि जमाबंदी रैयत को बंदोवस्त की गई थी। तदोपरांत लगान निर्धारण वाद सं0–15(2)/1974–75 प्रारंभ की गई एवं हजारवती देवी के नाम से जमाबंदी सं0–76–78 एवं देवयानी देवी के नाम से जमाबंदी सं0–77

कायम की गई।

(9) केवल शैतानी से जमाबंदी सं0–76 एवं 77 में Cross(X) दर्ज कर दिया गया जिसके कारण विपक्षीगण को रद्दीकरण की कार्यवाही झेलनी पड़ रही है।

(10) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कई न्याय निर्णय में जमाबंदी रद्दीकरण के बिन्दु पर कहा गया है कि केवल कैडेस्ट्रल सर्वे में जमीन को गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास या कैसरे हिन्द दर्शाने से भूतपूर्व जमींदार द्वारा की गई बंदोवस्ती संदेहास्पद नहीं हो जाती है।

(11) विपक्षीगण के द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण की कार्यवाही खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्षों की सुनवाई, समर्पित लिखित बयान एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से निम्नांकित बिन्दु प्रकाश में आते है :–

(1) प्रश्नगत भूमि मौजा–शतशाला की जमाबंदी सं0–76, 77 एवं 78 में खाता सं0–65 है, जो गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।

(2) जमाबंदी सं0–76, 77 एवं 78 में अंचल अधिकारी के लगान निर्धारण वाद सं0– $\frac{15/e(2/74-75)}{10/73-74}$ में अंचल अधिकारी द्वारा लगान निर्धारण किये जाने के आलोक में कायम किया गया था।

(3) वर्ष 1979–80 में पहला लगान रसीद निर्गत किया गया। पुनः वर्ष 2004–05 में लगान रसीद निर्गत किया गया। उक्त दोनो जमाबंदी पर जमाबंदी को Cross(X) किये जाने के कारण राजस्व कर्मचारी द्वारा लगान रसीद निर्गत नहीं किया गया, जबकि जमाबंदी सं0–78 मे Cross(X) नहीं रहने के कारण वर्ष 2014–15 तक लगान रसीद निर्गत किया गया है।

यहाँ यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या वर्ष 1974–75 में अंचल अधिकारी को लगान निर्धारण करने की शक्ति प्रदत्त थी एवं क्या गैरमजरूआ खास खाते की भूमि, जिसमें राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार कई खेसरा यथा–1040 एवं 999 जंगल साखू एवं खेसरा 998 नदी के रूप में दर्ज भूमि भी सम्मिलित है, का अंचल अधिकारी के लगान निर्धारण किया जाना नियमसंगत है। उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी को लगान निर्धारण की शक्ति 1966–67 में ही समाप्त करते हुए उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को लगान निर्धारण की शक्ति प्रदत्त की गई थी। साथ ही लगान निर्धारण वकास्त, बेलगान रैयती भूमि का लगान निर्धारण उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के द्वारा किया जाना है। जमींदारी उन्मूलन के लगभग दो दशक के बाद बिना किसी प्रमाणिक साक्ष्य यथा–भूतपूर्व जमींदार द्वारा रिटर्न नहीं होने के बावजूद उसे बंदोवस्त भूमि मानते हुए अंचल अधिकारी के द्वारा लगान निर्धारण किया जाना प्रथम दृष्टया तत्कालीन अंचल अधिकारी, चकाई के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत रूप से प्रश्नगत गैरमजरूआ खास भूमि, जिसमें जंगल एवं नदी भी सम्मिलित है, का लगान निर्धारण किया गया। बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 में स्पष्ट रूप से वर्त्तमान में लागू किसी विधि के उल्लंधन अथवा इस निमित किसी कार्यपालक निदेश के अतिलंधन में सृजित की गई जमाबंदी को निरस्त (रद्द) करने की शक्ति अपर समाहर्त्ता को प्रदत्त की गई है। चूँकि प्रश्नगत मामले में गैरमजरूआ खास भूमि, जिसमें नदी एवं जंगल भी सम्मिलित है, का लगान निर्धारण अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अतिलंधन कर एवं सरकार के हित को नजर अंदाज करते हुए कायम की गई है, इसलिए मौजा–शतशाला की जमाबंदी सं0–76, 77 एवं 78 में

उक्त लगान निर्धारण वाद सं0– $\frac{15/e(2/74-75)}{10/73-74}$ द्वारा खाता सं0–65 की जमाबंदी रद्द (विलोपित) की जाती है तथा अंचल अधिकारी, चकाई को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार उक्त जमाबंदियों में आवश्यक सुधार करना सुनिश्चित करें।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 416 /रा0, दिनांक 18.02.2020

प्रतिलिपि :–विपक्षी/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, चकाई/सरकारी अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।